परियोजना प्रबन्ध इकाई

उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना

सहभागिता से समृद्धि

पत्र सं0– 971 / 16-03 लखनऊः दिनांकः जुलाई 18, 2011

सेवा में,

समस्त डी0एम0यू0 / प्रभागीय वनाधिकारी,
पीलीभीत, उ0 खीरी, द0 खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ओबरा, सोनभद्र, रेनूकूट वन प्रभाग, कतर्नियाघाट, सुहेलवा, कैमूर, काशी वन्य जीव प्रभाग एवं दुधवा टाइगर रिजर्व।

विषयः– संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र के विषय में।

सन्दर्भः–इस कार्यालय का पत्रांक–6758 / 16–03 लखनऊ दि0 22.02.2011.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के विषय में आपसे जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की एस0ओ0ई0 मांगने हेतु प्रारूप प्रेषित किया गया था। इस क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–820 / 16–03 (एस0ओ0ई0) लखनऊ दि0 04.07.2011 का भी सन्दर्भ लें।

आपसे आपेक्षा की जाती है कि जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 द्वारा कराये गये कार्यों के लिए संलग्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्रत्येक माह एस0ओ0ई0 प्राप्त करना सुनिश्चित करें (संलग्न प्रपत्र सं0–1)। कृपया वित्तीय वर्ष 2010–11 (मार्च–2011 तक) की सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस प्रपत्र सं0–1 को जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 से प्राप्त करने के पश्चात संलग्न प्रपत्र सं0–2 पर एक गोस्वारा / सारांश बनाकर प्रपत्र–1 एवं 2 की एक प्रति के साथ डी0एम0यू0 अधिकारी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। प्रपत्र सं0–2 में समस्त जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 का माहवार घटकवार व्यय दर्शाया गया है। उपरोक्त दोनों प्रपत्रों–सं0 1 एवं 2 की एक–एक प्रति प्रभागीय कार्यालय में रखी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय स्तर पर एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें प्रविष्टि प्रपत्र सं0–3 के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी।

कृपया ध्यान दें कि प्रपत्र को भरवाने में जे0एफ0एम0सी0 / ई0डी0सी0 के सदस्यों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित सचिव / एफ0एम0यू0 / ए0एफ0एम0यू0 एवं प्रभागीय स्तर के अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा। यह प्रपत्र परियोजना की वेबसाइट www.uppfmpap.org पर भी उपलब्ध है। प्रपत्र Online भरने के लिए प्रपत्र सं0–1 की प्रविष्टियां भरने पर प्रपत्र सं0–2 की प्रविष्टियां नहीं भरनी होंगी क्योंकि प्रपत्र सं0–2 पर Data Entry प्रपत्र सं0–1 से अपने आप हो जायेगी। तात्पर्य यह है कि Online प्रविष्टियां भरने पर केवल प्रपत्र सं0–1 भरना होगा तथा प्रपत्र सं0–3 अलग से ऑनलाइन भरकर रजिस्टर में चस्पा किया जा सकता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रूपक डे)
मुख्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0स0व0प्र0 एवं नि0उ0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 971 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर, झांसी, इलाहाबाद, अवध, केन्द्रीय–लखनऊ, बरेली, वन्यजीव गोंडा, वन्यजीव कानपुर, दुधवा नेशनल पार्क।
2. वन संरक्षक झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, गोंडा तथा बरेली।
3. समस्त परियोजना निदेशक, वित्त नियंत्रक, परियोजना प्रबंध इकाई।
4. समस्त उप निदेशक, वित्त अधिकारी, परियोजना प्रबन्ध इकाई।
5. एम0आई0एस0 एवं जी0आई0एस0 अधिकारी, परियोजना प्रबन्ध इकाई।
6. समस्त एक्सटेंशन आफिस को ऑर्डिनेटर, पी0एम0सी0।
7. पी0एम0सी0।

(रूपक डे)
मुख्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0स0व0प्र0 एवं नि0उ0 परियोजना,
उ0प्र0, लखनऊ।

अरण्य सदन, शीशम बाग, सेक्टर–19, इन्दिरा नगर, लखनऊ फैक्स 0522–2718301 www.uppfmpap.org